



ACHIEVERS IAS ACADEMY

SUMMARY OF THE HINDU FOR BPSK EXAMINATION

HINDI

DATE

05/08/2023

THE HINDU 05.08-2023 National

➔ सुप्रीम कोर्टने मोदीउपनाम वालीटिप्पणी केलिए राहुलकी सजापर रोकलगाई:

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कर्नाटक रैली में उनके 'मोदी' उपनाम वाली टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

आरएस गवई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सजा सुनाने वाली सूरत अदालत 2 साल की अधिकतम सजा देने का एक भी कारण बताने में विफल रही। यहां तक कि गुजरात उच्च न्यायालय ने भी मामले में अधिकतम सजा देने के मुद्दे को छोड़ दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दिया गया बयान "अच्छे हित में नहीं" था और मानव जाति को ऐसे बयान से बचना चाहिए।

कांग्रेस नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि राहुल की लोकसभा सदस्यता तुरंत बहाल करें।

➔ प्रधानमंत्री 508 रेलवे स्टेशनों के पुनरुद्धार की आधारशिला रखेंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को वर्चुअली 508 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे. रेल मंत्रालय के अनुसार पुनर्विकास कार्य ₹24,479 करोड़ की अनुमानित लागत पर किया जा रहा है। वर्तमान में केवल 508 स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत पुनर्निर्मित किया जाना है। यह योजना 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शुरू की गई थी।

वर्तमान में लगभग 11,436;करोड़ की लागत से 24 रेलवे स्टेशनों पर सुधार कार्य चल रहा है।

➔ सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद पर एसआई अध्ययन को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एसआई सर्वेक्षण को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की "वैज्ञानिक जांच" जारी रखने से रोकने से इनकार कर दिया, हालांकि उसने विशेषज्ञ निकाय से केवल "नॉन इरेज़िव मेथडोलॉजी" का उपयोग करने के अपने आश्वासन पर कायम रहने को कहा। गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला न्यायाधीश द्वारा 21 जुलाई को दिए गए सर्वेक्षण को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी।

मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि सर्वेक्षण महज एक 'सलामी रणनीति' थी और इसने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने हालांकि बताया कि मामला बहस के लिए खुला है और सर्वेक्षण केवल "इंटरलोक्यूटरी" है।

सर्वेक्षण का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या 17वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के ऊपर किया गया था।

➔ विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान ने 19 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी।

आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को राज्य में 19 नए जिले और तीन नए डिवीजन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

इस फैसले से देश के सबसे बड़े राज्य में जिलों की कुल संख्या 50 हो जाएगी।

17 मार्च को सीएम अशोक गहलोत ने राम लुभाया समिति नामक उच्च स्तरीय समिति के प्रस्ताव के आधार पर नए जिलों के गठन की घोषणा की थी।

श्री गहलोत ने कहा कि यह कदम सत्ता के विकेंद्रीकरण की ओर है और इससे राजस्थान को इसमें लाने में मदद मिलेगी। 2030 तक विकसित की अग्रिम पंक्ति बनी रहेगी।

➔ **केरल वक्ताओं की टिप्पणी पर विवाद: सीपीआई (एम) सचिव ने देवताओं को 'मिथक' कहने से इनकार किया**

केरल के स्पीकर आर.एन. समशेर ने हाल ही में कन्नूर के एक स्कूल में भाषण देते हुए छात्रों को हिंदू मिथकों को पढ़ाने की कोशिश का केंद्र बताया था, उन्होंने भगवान गणेश और 'पुष्पक विमान' का हवाला दिया था।

नायर सर्विस सोसाइटी (एनएसएस) जैसे कई संगठनों ने माफी की मांग की।

कई लोगों ने सीपीआई (एम) पर हिंदुओं के प्रति तिरस्कारपूर्ण विश्वास के लिए सवाल उठाया है, जबकि अन्य धर्मों द्वारा पोषित आस्थाओं पर सवाल नहीं उठाया है।

➔ **विपक्ष के लगातार विरोध के बावजूद लोकसभा में कामकाज जारी है**

लोकसभा ने आईआईएम और इंटर सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन विधेयक पर विधेयक पारित किया।

आईएसओ विधेयक - अंतर सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 ऐसे संगठनों में व्यक्तिगत सेवा या उससे जुड़े संबंध में सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों के साथ आईएसओ के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड को सशक्त

➔ **नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल भी लोकसभा में पेश किया गया।**

विधेयक में एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) बनाने का प्रस्ताव है जो एक नया निकाय "अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा" प्रदान करेगा। एनआरएफ गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता प्रधान मंत्री करेंगे और विज्ञान और शिक्षा मंत्री "उपाध्यक्ष" होंगे। एनईपी में इसके गठन की बात कही गई थी। इसके तहत पांच साल की अवधि में वैज्ञानिक अनुसंधान पर कुल 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

➔ **डीजीएफटी ने अपने लैपटॉप, पीसी आयात पर प्रतिबंध 1 नवंबर तक निलंबित कर दिया है।**

एक दिन पहले ही विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक बयान जारी कर लैपटॉप, पीसी के आयात को निलंबित कर दिया था। लेकिन फैसला एक दिन बाद ही हो गया।

➔ **यूक्रेन द्वारा काला सागर बंदरगाह को ड्रोन से निशाना बनाने से रूसी युद्धपोत क्षतिग्रस्त:**

यूक्रेन ने शुक्रवार को कहा कि उसके समुद्री ड्रोन ने काला सागर में एक प्रमुख रूसी बंदरगाह पर हमला किया और युद्ध में एक महत्वपूर्ण युद्धक्षेत्र बनता जा रहा है।

नोवोरोसिएक ने समुद्री यातायात को कुछ घंटों के लिए रोक दिया, यह पहली बार है कि यूक्रेनी रूस युद्ध में किसी वाणिज्यिक रूसी बंदरगाह को निशाना बनाया गया है। काला सागर बंदरगाह में रूस का नौसैनिक अड्डा, जहाज निर्माण यार्ड और तेल टर्मिनल है।

रूस के काला सागर अनाज निर्यात सौदे से हटने के बाद से काले सागर में लड़ाई बढ़ गई है। अब तक रूसी सेनाओं ने काले सागर पर हमला करते हुए उसे नियंत्रित कर लिया है। यूक्रेन क्षेत्र से ज़ेलेंस्की के एक सलाहकार ने रूस पर अपने नवीनतम हमले की शुरुआत करते हुए कहा, "ड्रोन खेलों के नियमों को बदल रहे हैं... और अंततः रूसी बेड़े के मूल्य को नष्ट कर रहे हैं।"



ब्लैक सी में रूस का बंदरगाह

➔ **अदालत ने सरकारी उपहार की बिक्री पर इमरान के मुकदमे को अस्थायी रूप से रोक दिया।**

पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तोशाखाना मामले में निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और मामले की दोबारा सुनवाई करने को कहा है। इससे इमरान खान को बड़ी राहत मिली है।

पाकिस्तान में आम चुनाव बेहद करीब है, नेशनल असेंबली 12 अगस्त को खत्म होगी। और 9 अगस्त को निचले सदन द्वारा पीएम के भंग होने की उम्मीद है।

➔ **पाकिस्तान ने एफएटीएफ की मांग पूरी करने के लिए विधेयक पारित किया**

शुक्रवार को पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने एक विधेयक पारित किया जो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) से संबंधित सभी संस्थानों को एक आदेश के तहत लाएगा। नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी बिल "नेशनल असेंबली द्वारा पारित होने के बाद अब सीनेट में है।

पाकिस्तान 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में था और 2021 में इससे बाहर आने के लिए उसे बड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

FATF एक अंतरसरकारी संगठन है जो आतंक के वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखता है।

इसका मुख्यालय पेरिस में है।

➔ **नाइजर में विद्रोही सैनिकों ने फ्रांसीसी सैन्य संबंधों को 'बंधक' बनाते हुए राष्ट्रपति से अमेरिकी मदद की गुहार लगाई।**

नाइजर सैन्य जुंटा का कहना है कि वह फ्रांस के साथ समझौते तोड़ रहा है, इसके पूर्व औपनिवेशिक शासक ने पिछली सरकार के कुछ प्रमुख राजदूतों को बर्खास्त कर दिया है और पश्चिमी अफ्रीकी देशों के नागरिकों को विदेशी सेनाओं और जासूसों से सावधान रहने की चेतावनी दी है।

पश्चिम अफ्रीकी गुट द्वारा निजी राष्ट्रपति बज़ौम को रिहा करने और बहाल करने या संभावित बल का सामना करने की समय सीमा से पहले दो दिन शेष हैं। राष्ट्रपति बज़ौम ने अपने निर्वासन से वाशिंगटन पोस्ट में राय लिखी जिसमें उन्होंने अमेरिका और भागीदारों से मदद करने का आग्रह किया

The
ACHIEVERS
IAS ACADEMY

सम्पादकीय 1

वृद्धिशील अन्याय

पूजा स्थलों की स्थिति में बदलाव के प्रेरित मामलों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

➔ **संपादकीय के बारे में: .**

संपादकीय ज्ञानवापी मस्जिद मामले के बारे में है जिसमें हाल ही में SC ने एक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। संपादकीय में कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखा जाना चाहिए और अदालत द्वारा ऐसी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

➔ **ज्ञानवापी मामले के बारे में:**

वर्तमान मामला 12 मई 2022 को कुछ महिलाओं द्वारा दायर किया गया था जो चाहती थीं कि उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में दैनिक पूजा की अनुमति दी जाए जो वे 1990 के दशक से पहले किया करती थीं। उन्होंने पूरी साइट के सर्वेक्षण के लिए भी कहा। सेशन कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दे दी. सर्वे के दौरान एक शिवलिंग मिला। SC ने अपने आदेश से शिवलिंग के क्षेत्र को सील कर दिया और सर्वेक्षण पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगाने को कहा। 21 जुलाई को वाराणसी और अल्लाहबाद हाई कोर्ट के दोनों सत्र न्यायालय ने सर्वेक्षण की अनुमति दी। SC ने भी इसकी अनुमति दी। .

1990 के दशक तक इसके एक परिसर के नीचे प्रतिदिन दैनिक पूजा होती थी। 1993 के बाद साल में एक दिन पूजा की इजाजत दी गई। याचिकाकर्ता महिलाएं चाहती थीं कि रोजाना पूजा की इजाजत दी जाए.

➔ **पूजा स्थल अधिनियम 1991 -**

पूजा स्थल अधिनियम सभी पूजा स्थलों की 15 अगस्त 1947 की स्थिति को स्थिर कर देता है, अर्थात पूजा स्थलों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और इसे 15 अगस्त 1947 की स्थिति में ही रखा जाएगा।

न्यायालय ने अपने कई तर्कों में यह बात कही है

हालाँकि संपादकीय में कहा गया है कि सर्वेक्षण की अनुमति देना, जो यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या मस्जिद से पहले मंदिर जैसी कोई संरचना पूजा स्थल अधिनियम की दिशा में हो सकती है और इसकी अनुमति नहीं दी गई है।



सम्पादकीय 2

एक अस्थायी पुनर्विचार

गेमिंग दांव पर जीएसटी काउंसिल का रीटेक पर्याप्त निश्चितता प्रदान नहीं करता है

➔ **संपादकीय के बारे में:**

जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लागू होने के छह महीने बाद गेमिंग के लिए टैक्स स्लैब पर विचार करने का वादा किया। संपादकीय इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बात करता है और बताता है कि जीएसटी परिषद को गेमिंग के लिए कर को लेकर एक निश्चित समूह की नाराजगी से प्रभावित नहीं होना चाहिए

➔ **गेमिंग पर जीएसटी के बारे में:**

जीएसटी काउंसिल ने एक महीने पहले अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और इसी तरह के उद्योगों पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया था। उद्योग जगत के लोगों ने इसे गेमिंग जैसे फलते-फूलते उद्योग के लिए मौत की घंटी कहा था। गेमिंग को सूर्योदय उद्योग के अंतर्गत रखा गया है, इसका मतलब है कि सरकार गेमिंग क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश करना चाहती है और बताती है कि उसकी नीतियां इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए होंगी। लेकिन बढ़े हुए जीएसटी को कई लोगों ने उद्योग के लिए मौत की घंटी के रूप में देखा। एफएम ने हालांकि स्पष्ट किया कि कर प्रारंभिक धन पर होगा, न कि जीतने वाली राशि पर, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति कैसीनो में प्रवेश करता है और ₹300 और जीतने पर 1000 रुपये डालता है। टैक्स प्रारंभिक राशि ₹1000 पर होगा, न कि जीतने वाली राशि पर। इससे कई लोगों को राहत मिली है। बावजूद इसके गोवा और सिक्किम जैसे राज्य इस पर नाराजगी जता चुके हैं।

यह देखना दिलचस्प होगा कि इसके लागू होने के 6 महीने बाद सरकार क्या फैसला लेती है

हालांकि जीएसटी परिषद का निर्णय इतना ढीला नहीं होना चाहिए कि 6 महीने में इसकी समीक्षा करनी पड़े।

